कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा / संस्था / गो.प्र. / शाला दर्पण / ACP / M / 2020–21 दिनांक 17-9-2020

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

विषयः– ACP प्रकरण में वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन अधिकारीयों / कार्मिकों की वा.का.मू. प्रतिवेदन को स्वीकारकर्त्ता अधिकारी के रूप में निदेशालय स्तर पर संधारण किया जाता है, इनके एसीपी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में वांछित वा.का.मू. प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। वांछित वा.का.मू. प्रतिवेदन की सूची (दिनांकवार समेकित) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। सूची वेबसाईट के निम्न लिंक द्वारा देखी जा सकती है।

"https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/en/school-sec-education/secondary-education/order/ACRSection/ACRPendency.html# "

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित वा.का.मू. प्रतिवेदन की सूची को प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अवलोकन करने व इसका रजिस्टर संधारण करने हेतु संबंधित प्रभारी को पाबन्द करें तथा निदेशालय से पत्र प्राप्त होने का इन्तजार न करते हुए तत्काल वा.का.मू. कार्यालय हाजा के पत्रांक 22.06.2020 व परिपत्र 09.09.2019 की पालना करते हुए इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। इस संबध में अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी इसी क्रम में पाबन्द करें। **वा.का.मू. प्रत्येक वर्ष के अलग–अलग तैयार करते हुए मूल ही प्रेषित करें।**

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

क्रमांकः शिविरा–मा / संस्था / गो.प्र. / शाला दर्पण / ACP / M / 2020–21 दिनांक 17-9-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
2. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य राजकीय सार्दुल स्पॉटर्स स्कूल, बीकानेर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारम्भिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी ए–बी, सी–1,सी–2,सी–3,सी–4 ।
10. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)